

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2020—कार्तिक 8, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 जून 2020

क्रमांक ई-1-5/2020/एक/2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री टामन सिंह सोनवानी भा.प्र.से. (सी.जी.-2004) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30-05-2020 के प्रकाश में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम-16(2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित 90 दिवस की कालावधि में छूट प्रदान कर उन्हें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व दिनांक 31-05-2020 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

गृह-सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 अक्टूबर 2019

विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2021 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ-09-114/गृह-सी/परीक्षा/2020.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 25 जनवरी, 2021 से दिनांक 01 फरवरी, 2021 तक रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर (बस्तर) तथा अम्बिकापुर (सरगुजा) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 25-01-2021

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1. पहला प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.		प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
2. पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित).		
3. विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).		
4. विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).		
5. पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.		
59. Paper-1, “Electrical Laws (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.		
सोमवार, दिनांक 25-01-2021		
6. दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.		दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
7. दूसरा प्रश्न पत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.		
8. प्रश्न पत्र-समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.		
60. Paper-2, “Earthing and Electrical Safety (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.		

(1)	(2)	(3)
	मंगलवार, दिनांक 26-01-2021 को शासकीय अवकाश	
	बुधवार, दिनांक 27-01-2021	
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-“ए” आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
10.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-“बी”.	
11.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-“सी”.	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	Paper-3, “Electrical Installation (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	
	बुधवार, दिनांक 27-01-2021	
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्य के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
18.	प्रश्न पत्र-समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
62.	प्रश्न पत्र 4-लेखा व स्थापना (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों की सहायता से), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	

प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 01.00 बजे तक.

दोपहर 02.00 बजे से
शाम 05.00 बजे तक.

गुरुवार, दिनांक 28-01-2021

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
21.	प्रश्न पत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित), विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम-वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	प्रश्न पत्र-“व्यावहारिक शाखा” पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए.	
63.	Paper-5 “Switchgear and Protection (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र-महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	
गुरुवार, दिनांक 28-01-2021		
25.	प्रश्न पत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया, विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	प्रश्न पत्र-“पुलिस शाखा” (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए.	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2, सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	Paper-6, “Insulation Co-ordination & Hazardous Areas (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये.	

शुक्रवार, दिनांक 29-01-2021

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
34.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.	
37.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
38.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
39.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
40.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
शुक्रवार, दिनांक 29-01-2021		
41.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
शनिवार, दिनांक 30-01-2021		
45.	प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
49.	द्वितीय प्रश्न पत्र-छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.	
65.	प्रश्न पत्र-पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
शनिवार, दिनांक 30-01-2021		
51.	प्रश्न पत्र भाग-2-लेखा (पुस्तकों सहित), पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
52.	प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये-किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय-अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जन. जाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
रविवार, दिनांक 31-01-2021 को शासकीय अवकाश		
सोमवार, दिनांक 01-02-2021		
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.

नोट :-

- सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.
- उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.
4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स.से दिनांक 15 जनवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अतः ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह विभाग, सी-अनुभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष, परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 26-12-2020 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.
5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उसको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.
6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णतः अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ 1-06/2019/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सम्मुख कॉलम-04 में दर्शाये अनुसार तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री के. एल. ध्रुव, (भापुसे-2008)	पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम	पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा
2.	श्री शलभ कुमार सिन्हा, (भापुसे-2014)	पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा	पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सरगुजा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 7 सितम्बर 2020

क्रमांक 09/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	सेमरडीह प.ह.नं. 25	1.750	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बलरामपुर जिला-रामानुजगंज (छ.ग.).	गागर फीडर जलाशय योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 7 सितम्बर 2020

क्रमांक 10/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	डडगांव प.ह.नं. 25	3.404	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बलरामपुर जिला-रामानुजगंज (छ.ग.).	गागर फीडर जलाशय योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 7 सितम्बर 2020

क्रमांक 11/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	बकनाकला प.ह.नं. 18	14.508	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बलरामपुर जिला-रामानुजगंज (छ.ग.).	गागर फीडर जलाशय योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 7 सितम्बर 2020

क्रमांक 12/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	चलगली प.ह.नं. 26	7.469	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बलरामपुर जिला-रामानुजगंज (छ.ग.).	गागर फीडर जलाशय योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 7 सितम्बर 2020

क्रमांक 13/अ-82/2019-20.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	करगीडीह प.ह.नं. 26	4.302	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बलरामपुर जिला-रामानुजगंज (छ.ग.).	गागर फीडर जलाशय योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 7 सितम्बर 2020

क्रमांक 14/अ-82/2019-20.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	कुन्दीकला प.ह.नं. 15	9.241	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बलरामपुर जिला-रामानुजगंज (छ.ग.).	गागर फीडर जलाशय योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा,	(1)	(2)
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,	437/3	0.069
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	439/1	0.012
	505/3	0.040
जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 अक्टूबर 2020	505/4	0.040
	506	0.049
क्रमांक/10228/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को	507	0.036
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)	508	0.045
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक	509	0.081
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और	567/1	0.020
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार	567/2	0.020
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा	567/3	0.032
जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता	567/4	0.032
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	567/5	0.020
	567/6	0.032
अनुसूची	567/7	0.004
	567/8	0.004
(1) भूमि का वर्णन—	567/9	0.004
(क) जिला-जांजगीर-चांपा	569	0.275
(ख) तहसील-डभरा	570	0.227
(ग) नगर/ग्राम-सिरौली, प.ह.नं.-35	571/2	0.028
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.174 हेक्टेयर	571/3	0.121
	571/4	0.028
	571/5	0.024
खसरा नम्बर	571/6	0.024
रकबा	571/7	0.024
(हेक्टेयर में)	439/2	0.012
(1)	439/3	0.012
418	439/4	0.012
420/1	439/5	0.012
420/2	439/6	0.008
421/1	443/1	0.012
421/2	443/2	0.012
422	443/3	0.012
423/1	443/4	0.012
423/2	443/5	0.012
423/3	443/6	0.020
424/1	444	0.186
424/2	446	0.081
424/3	451/1	0.040
424/4	451/2	0.036
424/5	452	0.081
435	505/1	0.045
436	505/2	0.040
438/1	572/1	0.045
438/2	572/2	0.045
438/3	573/1	0.048
437/1	573/2	0.243
437/2		

(1)	(2)	(1)	(2)
573/3	0.049	7/1	0.182
573/4	0.049	7/2	0.166
573/5	0.040	7/3	0.162
573/6	0.012	7/4	0.178
573/7	0.004	11/1	0.324
573/8	0.004	11/5	0.275
573/9	0.004	11/2	0.243
573/10	0.004	11/3	0.142
573/11	0.004	11/6	0.142
573/12	0.012	11/4	0.121
575	0.061	25/1	0.040
576/3	0.040	28/1	0.008
576/2	0.004	97/1	0.045
योग	81	28/2	0.008
		97/2	0.045
		29/1	0.008
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैरॉज निर्माण हेतु,		29/2	0.008
		30	0.008
		94, 98	0.146
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.		96/1	0.024
		96/2	0.024
		99/1	0.231
		99/2	0.045
जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 अक्टूबर 2020		100/3	0.049
		100/1	0.020
		100/2	0.020
क्रमांक/10230/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		100/5	0.049
		100/4	0.166
		103	0.081
		104/1	0.210
		104/2	0.121
		109	0.129
		110	0.016
		115/1	0.283
		115/2	0.020
		116	0.020
		117/1	0.105
		117/2	0.101
		118/1	0.024
		योग	40
			4.512
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैरॉज निर्माण हेतु.	
(1)	(2)	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
1/2	0.223		

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 अक्टूबर 2020		(1)	(2)
क्रमांक/10232/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-		335/4	0.101
		337	0.178
		336	0.121
		338/1	0.093
		416/1	0.057
		429/1	0.040
		338/2	0.093
		416/3	0.053
		429/3	0.040
		339	0.036
		396/1	1.181
		397/3	0.101
		397/4	0.219
		397/5	0.077
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन-			
(क) जिला-जांजगीर-चांपा			
(ख) तहसील-डभरा			
(ग) नगर/ग्राम-गोपालपुर, प.ह.नं.-39			
(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.691 हेक्टेयर			
खसरा नम्बर	रकबा		
	(हेक्टेयर में)		
(1)	(2)		
120/1	0.032	417/2	0.053
120/2	0.032	421/2	0.069
120/3	0.032	417/3	0.057
120/4	0.032	418/1	0.077
120/5	0.032	418/2	0.069
123	0.113	156	0.146
128	0.053	155/1	0.348
124	0.223	326/4	0.162
125	0.073	332/4	0.858
136/1	0.040	328	0.125
137/2	0.162	332/1	0.113
139/1	0.372	332/2	0.429
141/1	0.405	332/3	0.105
126	0.069	335/3	0.162
129	0.077	418/3	0.077
136/2	0.510	419	0.146
139/2	0.251	420/1	0.162
140/2	0.028	420/2	0.316
140/3	0.024	421/1	0.069
146	0.142	421/3	0.069
155/2	0.069	421/4	0.069
144	0.097	429/2	0.032
149	1.412		
333/1	0.049		
335/2	0.093		
योग		63	10.691
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैराँज निर्माण हेतु.			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.			

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 अक्टूबर 2020		(1)	(2)
क्रमांक/10234/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		465/2	0.045
		465/4	0.040
		463/4	0.012
		463/1	0.008
		463/8	0.004
		463/5	0.008
		463/9	0.004
		463/2	0.024
		466	0.032
		467	0.032
अनुसूची		468/1	0.049
		468/2	0.049
(1) भूमि का वर्णन—		469	0.020
(क) जिला-जांजगीर-चांपा		471/1	0.012
(ख) तहसील-डभरा		471/4	0.008
(ग) नगर/ग्राम-चंदली, प.ह.नं.-40		473/2	0.024
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.771 हेक्टेयर		473/1	0.016
		473/3	0.028
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	474/1	0.049
		474/2	0.049
(1)	(2)	475	0.040
		476/1	0.016
370/1	0.283	424/2	0.032
5	0.049	425/1	0.045
376/1	0.004	425/2	0.020
376/2	0.008	426/1	0.049
376/3	0.008	426/2	0.016
380	0.016	427/1	0.045
381/1	0.012	427/2	0.045
381/2	0.014	428/1	0.012
381/3	0.014	428/2	0.020
381/4	0.014	428/3	0.008
381/5	0.014	456/1	0.020
382/2	0.016	456/2	0.020
382/1	0.016	457/1	0.022
384/1	0.008	457/2	0.022
384/2	0.008	458/1	0.022
384/3	0.008	458/2	0.022
384/4	0.008	458/3	0.020
384/5	0.008	459/1	0.012
385/1	0.028	459/2	0.012
385/2	0.028	459/3	0.010
420	0.008	459/4	0.010
386	0.016	459/5	0.020
422/1	0.028	460/2	0.020
424/1	0.036	460/1	0.024
465/1	0.040	476/2	0.045
465/3	0.040	484/1	0.032
		484/2	0.032

(1)	(2)	(1)	(2)
485/1	0.028	480/2	0.040
485/2	0.032	480/3	0.049
483/1	0.053	480/4	0.040
483/2	0.053	480/5	0.040
477/1	0.024	480/6	0.049
477/2	0.024		
477/3	0.024	योग	96
478/1	0.036		2.771
478/2	0.036	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैरोंज निर्माण हेतु.	
482/1	0.024	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
482/2	0.040		
482/3	0.040		
491/1, 491/3	0.024	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
481/1	0.093	यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	
481/3	0.024		
480/1	0.040		

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 10 जून 2020

क्रमांक 971/नगानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-वाड्फनगर/2020.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि वाड्फनगर निवेश क्षेत्र अंतर्गत लमोरी ग्राम के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर तथा नगर पंचायत वाड्फनगर में दिनांक 10-06-2020 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

पुनर्गठित वाड्फनगर निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

वाड्फनगर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में :** ग्राम पशुपतिपुर, मिथिलापुर, रूपपुर, बसंतपुर एवं लमोरी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम लमोरी, बसुलापाठ, प्रेमनगर, वाड्फनगर एवं रजखेता ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम रजखेता, कोटराही, पेंडारी एवं इकनारा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम इकनारा, मदनपुर, पेंडारी एवं पशुपतिपुर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त हो, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 971/T&CP/Ambikapur/DP-Wadrafnagar/2018.—Notice is hereby given that the existing land use map for Lamori village in Wadrafnagar planning area has been prepared under sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection from date 10-06-2020 during office hours in the offices of the Collector District Balrampur-Ramanujganj, Office of the Assistant Director Town and Country Planning Ambikapur and Nagar Panchayat Wadrafnagar District Balrampur-Ramanujganj.

The limit of reconstitute Wadrafnagar Planning Area is defined in the schedule given below.

SCHEDULE

Limits of Wadrafnagar Planning Area

NORTH	:	Village Pashupatipur, Mithilapur, Ruppur, Basantpur and upto the Northern Limit of Lamori.
EAST	:	Village Lamori, Basulapath, Premnagar, Wadrafnagar & upto the Eastern Limit of Rajkheta.
SOUTH	:	Village Rajkheta, Kotrahi, Pendari & upto the Southern Limit of Eknara.
WEST	:	Village Eknara. Madanpur, Pendari & upto the Western Limit of Pashupatipur.

“If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning Ambikapur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the “Chhattisgarh Gazette”.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Assistant Director Nagar Tatha Gram Nivesh Ambikapur Chhattisgarh.

एन. एस. ठाकुर,
सहायक संचालक.